न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08 / 2020 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दायर दिनांक 03.11.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. पर्वत सिंह पुत्र गजनलाल जाति अहीर निवासी बलारपुर तहसील शाहबाद जिला–बारां।
2. तेजसिंह पुत्र गजनलाल जाति अहीर निवासी बलारपुर तहसील शाहबाद जिला–बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील निवासी मण्डी भौरा तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. नायब तहसीलदार शाहबाद जिला–बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री, वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय 　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण 72 दिनांक 08.12.1998 गैरखातेदारी बहक भागीरथ पुत्र थावरा खसरा सं. 73 रकबा 5.00 बीघा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 08.12.1998 ग्राम मण्डी भौरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील निवासी मण्डी भौरा के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 08.12.1998 रकबा 5.00 बीघा सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को दिनांक 11.09.1998 को 5.00 बीघा भूमि आवंटन होना बताकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि दिनांक 11.09.1998 को भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को कोई भूमि आवंटन नहीं हुआ। राजस्व कर्मियों ने आपराधिक षडयन्त्र में शामिल होकर बिना आ[illegible] के पक्ष में रेस्पोडेण्ट क्रम 2 ने नामान्तकरण तस्दीक करने में भारी त्रृटि की है। रेस्पोडेण्ट [illegible] 2 [illegible]रा हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को दिनांक 11.09.1998 की मिथ्या [illegible] जो रिपोर्ट को जाचं, किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पोडे[illegible] भूमि आवंटन नहीं किया ग[illegible]खातेदारी इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

कूटरचित होकर हेराफेरी की गई है। बिना आवंटन के ही अवैध व फर्जी तौर पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा अवैध व विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को आवंटन नहीं हुआ भूमि पर कब्जा भी रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का कभी नही रहा खसरा नम्बर 73 में अपीलान्टस् बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर 73 का नक्शा तरमीम नहीं है जिसका अनुचित लाभ उठाने के लिए रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगभग 50–60 लोगों का समूह बनाकर जबरन अपीलान्टस् की भूमि को हांकने कब्जा करने पहुंच गया। अपीलान्टस् ने विरोध किया तो अपीलान्टस् के विरूद्ध मारपीट करने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का झूठा प्रकरण थाना कस्बाथाना में दर्ज करवा दिया तब अपीलान्टस् ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 के राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की तब दिनांक 25.08.2020 को गैर खातेदारी इन्तकाल की नकल मिलने पर रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को बिना आवंटन के ही किये विरूद्ध रूप से गैर खातेदारी नामान्तरकरण दर्ज कर भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिये जाने ज्ञान हुआ।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से लिखित जबाब प्रस्तुत किया है :–

1. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील असत्य तथ्यों पर आधाररित होने से अस्वीकार है। अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार नहीं है। इस कारण अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करने को कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है।
2. विवादित आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को दिनांक 25.09.1998 को विधिवत आवंटन हुआ है इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त आवंटन आवेदन पर रिपोर्ट पटवारी हल्का ने जिस दिनांक 11.09.1998 को अपनी रिपोर्ट लगाई है वह दर्ज कर दी इस कारण अपीलान्ट्स ने इस क्लिरिक्ल मिस्टेक का फायदा उठाने की नीयत से यह अपील पेश की है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है।
3. यह है कि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 विवादित आराजी पर आवंटन दिनांक 25.9.98 से पूर्व से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसी आधार पर रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।
4. अपीलान्ट की अपील अवधि मध्य नहीं है इस कारण चलने योग्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को दिनांक 11.09.1998 को 5.00 बीघा भूमि आवंटन होना बताकर तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने की मिथ्या रिपोर्ट कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया [illegible] 11.09.1998 को भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को कोई भूमि का आवंटन [illegible] कथन है कि विवादित आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को दिनांक 25.09.1998 को विधिवत आवंटन हुआ है, इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त आवंटन आवेदन पर रिपोर्ट पटवारी हल्का ने जिस दिनांक 11.09.1998 को अपनी रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

लगाई है वह दर्ज कर दी इस कारण अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 विवादित आराजी पर आवंटन दिनांक 25.9.98 से पूर्व से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसी आधार पर रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 ग्राम मण्डीभौरा निर्णय दिनांक 08.12.1998 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested